



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार)
**EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION**
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of
India)



पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-
208005
**Panchdeep Bhawan, Sarvodaya
Nagar, Kanpur-208005**
**Phone: 0512-2217957 Email: rd-
up@esic.nic.in**
**Website: www.esic.nic.in/
www.esic.in**

पत्रांक : का/कोष/टाई-अप/हॉस्पिटल

दिनांक : 12.09.2024

परिपत्र

विषय:-कानपुर परिक्षेत्र के सेवारत अधिकारियों / कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पी०एम०एस० सदस्य) एवं उनके परिवार के चिकित्सा सुविधा हेतु आश्रित सदस्यों के अंतरंग उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा (आकस्मिक परिस्थितियों में) सी०जी०एच०एस० दरों पर एवं सामान्य परिस्थितियों में **payment basis हेतु अवधि दिनांक **12.09.2024** से **28.11.2024** तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

समस्त सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पेंशनर्स (पीएमएस सदस्य) को सूचित किया जाता है कि निम्नवत अस्पताल/ परिक्षण केंद्र कैशलेस चिकित्सा उपचार (IPD-आकस्मिक परिस्थितियों में), OPD/Investigation(On Payment Basis सी०जी०एच०एस० NABH/Non NABH दरों पर) करने हेतु दिनांक 12.09.2024 से 28.11.2024 तक के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

क्रमांक	अस्पताल का नाम एवं पता	विवरण
1.	Fortune Hospital, 117/Q40A-41, Sharda Nagar Kanpur	IPD/OPD/Investigation

अधीक्षक (प्रभारी) एवं हॉस्पिटल संचालकों से अनुरोध है कि विभाग के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके परिवार के चिकित्सा सुविधा हेतु आश्रित सदस्यों को कर्मचारी के पहचान पत्र के आधार पर तथा पेंशनर्स (पीएमएस सदस्य) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सेवानिवृत्त कर्मचारी के PMS कार्ड के आधार पर सी.जी.एच.एस. के नियमानुसार चिकित्सा सुविधा देने का श्रम करें।

भवदीय

Signed by

कृते क्षेत्रीय निदेशक (प्र.)

Date: 12-09-2024 15:09:54

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सभी शाखायें, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर।
2. सभी शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र।
3. संबंधित अस्पताल/ परीक्षण केन्द्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को सी०जी०एच०एस० द्वारा अनुमोदित दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें।
4. अध्यक्ष/ महामंत्री एसिक यूनियन, क०रा०बी०नि०, कानपुर।
5. अध्यक्ष/ महामंत्री एसिक पेंशनर्स एसोसिएशन, क०रा०बी०नि०, कानपुर।
6. शाखाधिकारी, आई०टी० शाखा को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

कृते क्षेत्रीय निदेशक (प्र.)